पेशी हो 27-1-2017 को

दिनांक 27-1-2017

प्रार्थी पेश हुई वकील उप० / प्रार्थी व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकीलान की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा०पत्र के माध्यम से दलील दी जा रही है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मेखमडा के खसरा नंबर 775, 788, 823, 809, 815, 828, 832, 837, 847, 854, 858, 865 कुल खसरा (12) कुल रकबा 2-14 हैक्टर में प्रार्थीनि का 1/3 हिस्सा पुश्तैनी हक अनुसार है, जिसकी घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसके निस्तारण में समय लगेगा। अप्रार्थी पक्ष प्रार्थीनि के हिस्से की आराजी का बेचान करने पर आमादा है, जिनको रोकने के लिये उक्त प्रा०पत्र पेश किया है। जिसमें यदि प्रार्थीनी को स्थगन नहीं दिया गया तो प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र का मकसद ही खत्म हो जावेगा। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी की दलील है कि प्रार्थीनि के पति ने एक सिविल वाद को [illegible] में दायर किया था। जिसमें प्रार्थीनि ने बयानों में स्वीकार किया कि उसे सोना चांदी पिता ने दी है। जिससे इस आराजी मे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीनि का कोई हक नहीं रहा है। इसके साथ ही दूसरी आपत्ति यह जताई कि प्रार्थीनि ने पूर्व में इसी संबंध में पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी में नाम दर्ज नहीं होने से नामांतरण अपील पेश की थी। जो अपील भी खारिज हो चुकी है। जिससे पुनः उक्त प्रार्थना प्रस्तुति का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना प्रार्थीनि खारिज किये जाने की प्रार्थना की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात् यह प्रमाणित है कि लिखित वाद मध्य पुश्तैनी आराजी के बारे में था न कि उक्त राजस्व आराजी के संबंध में। तथा हिम्मतसिंह व नाथुसिंह दोनों भाइयों के मध्य हुये लिखत पर प्रार्थीनि के हस्ताक्षर नहीं हैं उसके पति हिम्मतसिंह के हस्ताक्षर हैं। जिससे विधि अनुसार प्रार्थीया अपने पति के द्वारा लिखत पर किये गये हस्ताक्षर से बाध्य नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध प्रस्तुत नामांतरण अपील सं 2/09 अनवार बनाम नाथुसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट में दिनांक 16-2-2009 को पारित आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अपील को प्रार्थीनि द्वारा पुनः अपील प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये	

जायेंगे। विशेष प्रा. पत्र तथा कथित ओदेश को विक्रय करने से खारिज की थी न कि उक्त अपील मेरिट पर निर्णित हुई थी। जिससे प्रार्थीनि का पुनः वाद लाने व उक्त प्रा. पत्र प्रस्तुती का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। प्रकरण में यह तो स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि भूमि पुश्तैनी भूमि है, जिसमें विधि अनुसार प्रार्थीया 1/3 हिस्सा के हक पाने की अधिकारी है। जिस हेतु प्रार्थीया द्वारा घोषणा, खातेदारी का वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसके निस्तारण में समय लगेगा। एवं इस दौरान यदि रेकर्ड में दर्ज वर्तमान हिस्सा अनुसार अप्रार्थी भूमि का बेचान कर देते है तथा प्रार्थीया को मौके से बेदखल कर देते है तो प्रार्थीया को भारी परेशानी तथा आर्थिक कठिनाई होगी। अतः वाद अवलोकन पत्रावली व सुविधा संतुलन वादग्रस्त भूमि ग्राम कीटमडा के खसरा नम्बर 775, 788, 803, 809, 815, 828, 832, 837, 847, 854, 858, 865 कुल खसरा (12) कुल रकबा 2.14 हैक्टर में प्रार्थीनि के निहित 1/3 हिस्सा में अप्रार्थीगण दखलंदाजी नहीं करे तथा न ही भूमि का बेचान/हस्तांतरण किसी अन्य को करावे। इस आशय की RTA की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है। मिसल मसल मुताबिक होकर मूल वाद के संलग्न हो।

उप - खण्ड अधिकारी, पाली

Scanned by CamScanner